न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, जिला अजमेर

राजस्व वाद 114/2020 (2020/00284)

1. बन्ना पुत्र मोडू जाति रेगर निवासी ग्राम कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र बन्ना जाति रेगर
2. प्रहलाद पुत्र बन्ना जाति रेगर
   निवासीगण ग्राम कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राज. टेनेन्सी एक्ट

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–18.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प कादेडा में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट का पेश किया है जिसके तहत वादवर्णित आराज़ीयात वाके ग्राम कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका वादी खातेदार है। आराजी का विवरण निम्नानुसार है–

विवरण मुताबिक जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
380–306	110	0.55	बारानी 1
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.55 हेक्टर	

विवरण मुताबिक जमाबन्दी संवत 2041

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1 मी0	215	13–12–00 बीघा	बारानी 2

नामान्तकरण संख्या 278 दिनांक 09.06.1992 से खसरा नम्बर 215/2 रकबा 3–08–00 बीघा पर बन्ना पुत्र मोडू कौम रेगर के नाम खातेदार स्वीकर दर्ज किया हुआ है।

वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 215 रकबा 13–12–00 बीघा किस्म बारानी 2 में से 3–08–00 बीघा भूमि वादी को ग्राम कादेडा तहसील केकड़ी में दिनांक 09.06.1992 में आयोजित समस्या समाधान शिविर में खातेदारी दर्ज की गयी जो कि जर्ये नामान्तकरण संख्या 278 दिनांक 09.06.1992 से दर्ज की गई एवं जिसका राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी 2041 में अंकन कर दिया गया। वादी ही आराजी का खातेदार है तथा काबिज

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

काश्त है, निरन्तर कब्जा वादी का ही चला आ रहा है। नये सेटलमेन्ट के समय वादी की उक्त खातेदारी की आराजी सहवन से वादी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गयी जो कि गलत है। नये रिकॉर्ड में उक्त आराजी वादी के नाम खातेदारी में दर्ज होनी चाहिये थी, किन्तु वादी की उक्त आराजी नये राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई जिसे सही किया जाकर वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। दिनांक 07.12.2017 को जब वादी द्वारा आराजी का राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया तब वादी को जानकारी हुई जिससे वाद प्रस्तुत किया जाना लाजमी आया है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादवर्णित आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार अंकन किया जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र के पेरा संख्या 1 से 3 में वर्णित कथन स्वीकार किया गया। पेरा संख्या 4 से 8 कानूनी होना जाहिर किया एवं शेष प्रार्थना वादी है जो सही है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्वीकार है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि आराजी वादी को आवंटित हुई थी। आवंटन के दिनांक से वादी ही काबिज काश्त है। जमाबन्दी संवत 2041 में वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है किन्तु सेटलमेन्ट के समय नये रिकॉर्ड में सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज है जो गलत है। आराजी वादी की ही है तथा वादी ही काबिज काश्त है। वादपत्र के पेरा संख्या 1 में उल्लेखित कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम विलोपित कर वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कोई आपत्ति नही होना अपने जवाब दावा में जाहिर किया है। प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प कादेडा में उपस्थित प्रतिवादी पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी सुना गया।

प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 केम्प कादेडा में आज उपस्थित सभी पक्षकारान की बहस सुनी गई। शिविर में उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जगदीश तथा प्रहलाद ने बहस के दौरान अपने जवाब दावा के तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र हमे स्वीकार है। ग्राम कादेडा के हाल खसरा नम्बर 110 जिसमें हम प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है वह सेटलमेंट के दौरान सहवन से गलत दर्ज हुए है। वादवर्णित आराजीयात से हम प्रतिवादीगण को कोई वास्ता सरोकार नही है। उक्त आराजी जो कि जमाबंदी संवत 2041 में वादी बन्ना पुत्र मोडू रेगर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है एवं नामान्तकरण संख्या 278 दिनांक 09.06.1992 में बन्ना पुत्र मोडू के नाम खातेदारी स्वीकृत हुई थी जो सही है वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज उक्त वादवर्णित आराजीयात को वादी के नाम दर्ज किये जाने पर प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति नही होना बहस के दौरान जाहिर किया एवं पत्रावली में उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित किये।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

वादी को सुना गया। वादी ने वादवर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 278 दिनांक 09.06.1992 तथा जमाबन्दी संवत 2041 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2055 से 2058 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 110 ग्राम कादेडा पूर्व में भी एवं वर्तमान में भी वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट के दौरान उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है जिसे सही किया जाकर आराजी को पुनः वादी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के जवाब तथा दौराने बहस बताये गये तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वादवर्णित आराजी वादी की खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजीयात है जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम सहवन से गलत दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी परिस्थिति में जहां दोनो ही पक्ष वादपत्र के तथ्यों से सहमत है एवं वादपत्र का वादी के पक्ष में निस्तारण किये जाने से राजहित प्रभावित नही है जिससे वादी का वाद पत्र प्राईमाफेसाई केस होना पाया जाता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है तथा वाके ग्राम कादेडा तहसील केकड़ी के खाता संख्या 380–306 में दर्ज खसरा नम्बर 110 रकबा 0.55 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प कादेडा में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
सत्यमेव जयते

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः— विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. बन्ना पुत्र मोडू जाति रेगर निवासी ग्राम कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर ——वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र बन्ना जाति रेगर
2. प्रहलाद पुत्र बन्ना जाति रेगर
निवासीगण ग्राम कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
—— प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88 राज. टेनेन्सी एक्ट
मुकदमा नम्बरः—राजस्व वाद 114/2020 (2020/00284)
निर्णय दिनांकः—18.05.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी हाजिर मुददावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है तथा वाके ग्राम कादेडा तहसील केकड़ी के खाता संख्या 380—306 में दर्ज खसरा नम्बर 110 रकबा 0.55 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

चीज .....मुबलिक.....बाबत.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक.....को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.05.2023 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुहर
ओहदा

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	———	———	मुतफरिक	———	———
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।